04.06.2024

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>Press Release</u>

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को चक्रवात रेमल से सम्बंधित दावों को फास्ट ट्रैक पर निपटाने की परामर्श दी

IRDAI advised Insurance Companies to settle Cyclone Remal Claims on Fast Track

विभिन्न राज्यों में चक्रवात रेमल ने जान-माल, संपत्ति (घरों और व्यवसायों) एवं बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। इस क्षेत्र के विनियामक आईआरडीएआई ने जीवन और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों सहित सभी बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे चक्रवात और अनुवर्ती भारी बारिश के कारण आए बाढ़ से उत्पन्न दावों के त्वरित निपटान के लिए सर्वेक्षकों, हानि समायोजकों और जांचकर्ताओं की सेवाओं सहित तत्काल सेवा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाएं।

बीमा कंपनियों को परामर्श दी गई है कि वे एक वरिष्ठ कार्यकारी के नामांकन की सूचना राज्य के मुख्य सचिव को तत्काल दें। बड़ी संख्या में दावों की रिपोर्ट करने वाले जिलों का पर्यवेक्षण नामित जिला दावा सेवा प्रमुख द्वारा की जाए। बीमाकर्ताओं को इन अधिकारियों के संपर्क विवरण का अपनी वेबसाइटों और मीडिया में व्यापक प्रचार करना होगा।

बीमा कंपनियों को परामर्श दी जाती है कि वे दावों के त्वरित प्रसंस्करण और निपटान के लिए अपनी 24x7 हेल्पलाइनों, जिला स्तर पर विशेष दावा डेस्क, प्रत्यायोजित दावा निपटान प्राधिकारी के माध्यम से दावाकर्ताओं को जवाब / सहायता प्रदान करें। बीमा कंपनियों को परामर्श दी गई है कि वे दावा भुगतानों/खाता भुगतानों का यथाशीघ्र निपटान करें और पॉलिसीधारकों को पत्राचार के लिए जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

The Cyclone Remal in various states have caused widespread loss of lives, property (homes and businesses) and infrastructure. The Sector Regulator IRDAI issued instructions to all Insurers including Life and Standalone Health Insurance Companies to mobilise all resources to ensure immediate service response including engaging the services of Surveyors, Loss Adjustors and Investigators for quick settlement of claims arising out of the havoc created by the Cyclone and subsequent heavy rains causing floods.

The insurers have been advised to communicate the nomination of a Senior Executive to the Chief Secretary immediately. Districts reporting large numbers of claims to oversee by a designated District Claims Service Head. The insurers to give wide publicity on the contact details of these officers in their websites and also in the media.

Insurers are advised to respond/assist the claimants through their 24x7 helplines, special claims desks at district level with delegated Claims Settlement Authorities for speedy processing and settlement of claims. Insurers have been advised to settle claim payments/on account payments at the earliest and also encourage policyholders to use electronic communication wherever possible for correspondence.